प्रेस विज्ञप्ति
जनपद-बस्ती
दिनांक-07.07.2021

थाना छावनी पुलिस व SOG बस्ती कि संयुक्त टीम द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस, चोरी के वाहन व लूटी गयी सम्पत्ती के साथ शातिर लुटेरा गिरोह को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना छावनी पुलिस व SOG बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा थाना छावनी क्षेत्र अंतर्गत दिनांक-02.06.2021 को ताला गांव बंजरिया के मध्य हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2021 धारा 392 IPC का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सूरज कुमार पुत्र राम बदन प्रजापति निवासी ग्राम नगरा बदली थाना छावनी जनपद बस्ती |
2. बीरेन्द्र जयसवाल पुत्र लल्लन निवासी ग्राम थरुआ पार थाना हरैया जनपद बस्ती |
3. प्रदीप कुमार पुत्र जनजाली निवासी ग्राम नगरा बदली थान छावनी जनपद बस्ती।
4. रवी शर्मा पुत्र रामकेवल निवासी ग्राम नगरा बदली थाना छावनी जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद कट्टा 315 बोर, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर |
2. एक अदद कट्टा 12 बोर, दो जिन्दा कारतूस व एक मिस कारतूस 12 बोर |
3. रुपया 52,750/-(लूट के) |
4. दो अदद मोटरसाइकिल |

घटना का संछिप्त विवरण:-

दिनांक:- 02.06.2021 को अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा पुत्र रामजग प्रसाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम खम्हरिया थाना परसरामपुर जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी जनपद बस्ती पर प्राथना-पात्र दिया कि मैं ग्राम बदली में ग्राहक सेवा केंद्र चलाता हूँ और आज दिनांक:- 02.06.2021 की सुबह विक्रमजोत पेट्रोल टंकी से रुपये 83,900/- नगद व SBI बैंक से रुपये 1,28,000/- नगद लेकर अपने बैग(जिसमें कुछ और पैसे पहले से रखा हुआ था) में रखकर ग्राक सेवा केंद्र की और जा रहा था कि तालागाँव व बंजरिया के मध्य मोटरसाइकिल सवार तीन लडके नये उम्र के मुझे रोककर दो थप्पड़ मारे और मेरे पैसे को लेकर भाग गये |

जिसके सम्बन्ध में थाना छावनी पर मु0अ0सं0 149/2021 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया | आज दिनाक:-07.07.2021 को थाना छावनी पुलिस व SOG बस्ती कि संयुक्त टीम द्वारा जमौलिया से बंजरिया मार्ग पर दत्तनगर कि सीमा के पास पुलिस टीम पर फायर किया गया जहाँ थाना छावनी पुलिस व SOG टीम बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा आत्मरक्षा में किये गए फायर में अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र राम बदन प्रजापति घायल हुआ एवं अन्य तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया |

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने देखा की अर्जुन ग्राक सेवा केंद्र चलाता है जो कि रोज(प्रतिदिन) पैसे लेकर विक्रमजोत से आता-जाता है, जिसे देखकर हम लोगों की नियति बदल गई | हम लोग प्रदीप कुमार जो साथ में है, जिसके द्वारा अर्जुन के ग्राहक सेवा केंद्र का कार्य भी देखता है, के साथ ताल-मेल कर दिनाक:-02.06.2021 को जब अर्जुन बैंक से पैसा निकालकर चला जिसके बारे में प्रदीप ने सूचना दिया तब हम लोग अर्जुन का बैग टाला गाँव के पास पहुंचकर छीनकर भाग गए और छीने हुए रुपये 2,20,000/- नगद को हम चारों ने आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया एवं बैग में रखे कागजात जो हम लोगों के काम का नहीं था, को सरजू नदी में फेंक दिया |

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 392, 411 IPC थाना छावनी जनपद बस्ती |
2. मु0अ0सं0 182/21 धारा 307, 419, 420, 467, 468, 471 IPC थाना छावनी जनपद बस्ती |
3. मु0अ0सं0 183/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती बनाम सूरज |
4. मु0अ0सं0 184/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती बनाम बीरेन्द्र जयसवाल पुत्र लल्लन |

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

1. प्रभारी SOG श्री मृत्युंजय पाठक जनपद बस्ती |
2. थानाध्यक्ष छावनी श्री आलोक श्रीवास्तव जनपद बस्ती |
3. व0उनि0 श्याम मोहन त्रिपाठी थाना छावनी जनपद बस्ती |
4. उ0नि0 दुर्गविजय सिंह थाना छावनी जनपद बस्ती |
5. उ0नि0 मनीष जायसवाल थाना छावनी जनपद बस्ती |
6. हे0का0 विजय प्रकाश दीक्षित, हे0का0 बुद्धेश कुमार, हे0का0 दिलीप कुमार, का0 अजय कुमार यादव, का0 अभिषेक तिवारी, का0 विजय यादव SOG टीम जनपद बस्ती |
7. आरक्षी शिवकेश सिंह, आरक्षी संजय यादव, आरक्षी पंकज यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार, आरक्षी आनंद राय, आरक्षी इन्द्रजीत कुमार थाना छावनी जनपद बस्ती |